https://t.me/TheHindu_Zone_official

न्यूज गैलरी

भाग्यश्री के पति हिमालय जुए का अड्डा चलाने में गिरफ्तार

पति हिमालय दासानी के साथ अभिनेत्री भाग्यश्री की फाइल फोटो। एएनआइ

मुंबई : फिल्म 'मैंने प्यार किया' से बॉलीवुड में प्रवेश से साथ ही सिनेप्रेमियों के दिलोदिमाग पर छा जाने वालीं अभिनेत्री भाग्यश्री के पति हिमालय दासानी को पुलिस ने जुए का अड्डा चलाने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। जुए के अड्डे के संचालन में उनकी भूमिका सामने आने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। अंबोली थाने के एक अधिकारी ने बताया कि फिल्म अभिनेता से निर्माता बने दासानी को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत मिल गई। उन्होंने बताया कि अंबोली पुलिस ने हाल ही में एक जुए के गिरोह का पर्दाफाश किया था। आरोपित ने पूछताछ के दौरान दासानी का नाम लिया था और जुए का अड्डा चलाने में उनकी भूमिका बताई थी। बतौर अभिनेता दासानी की पहली फिल्म 'पायल' वर्ष 1992 में आई थी। इसके बाद उन्होंने भाग्यश्री के साथ 'कैद में है बुलबुल' और 'त्यागी' में भी काम किया। अब वह फिल्म निर्माता और कारोबारी हैं। (प्रेट्र)

माखनलाल विवि के पूर्व कुलपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

भोपाल : माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. बृजकिशोर कुठियाला के खिलाफ बुधवार को अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को कुठियाला को 13 जुलाई तक गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश किए हैं। प्रो. कुठियाला के खिलाफ ईओडब्ल्यू में विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताओं और नियुक्तियों में गड़बड़ी के प्रकरण दर्ज हैं। उनकी तलाश के लिए ईओडब्ल्यू ने भोपाल स्थित उनके कार्यालय, आवास व दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के पंचकूला के ठिकानों पर कार्रवाई की, लेकिन वह नहीं मिले। ईओडब्ल्यू ने संजीव पांडे की विशेष अदालत में दस्तावेज के माध्यम से बताया कि लगातार तलाश के बाद भी कुठियाला नहीं मिल रहे हैं। जानबूझकर वह कार्रवाई की अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की अनुमति दी जाए। अदालत ने ईओडब्ल्यू के आवेदन पर कुठियाला की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और 13 जुलाई तक पेश करने के आदेश दिए। (नईदुनिया)

पीठ दिखाने वाला सैनिक है कायर : सुप्रीम कोर्ट

- सेना से बर्खास्त अफसर की याचिका की खारिज
- कहा-सैनिक केवल पिछले शौर्य के भरोसे नहीं रह सकता

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की अखंडता को बचाने के लिए एक सैनिक को बढ़-चढ़कर अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन अगर कठिन परिस्थितियों में वह चुनौतियों का सामना करने के बजाय अपनी पीठ दिखाकर भागता है तो यह कायरता है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने एक सैन्य अफसर की याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि सैनिक सिर्फ अपने पिछले गौरव के भरोसे ही नहीं रह सकता क्योंकि उस पर देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक सैन्य अफसर की याचिका को खारिज करते हुए सामने आई है। सैन्य अफसर ने सेना से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी है। वर्ष 2006 में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में पीठ दिखाकर भागने पर इस अफसर को नौकरी से निकाला गया है। इस मुठभेड़ में इसका एक साथी शहीद हो गया था। इस अफसर पर अपनी एके-47 और पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं करने का भी आरोप है। इसके चलते आतंकवादियों ने उसकी पोस्टिंग पर कब्जा कर लिया, एक सैन्य अफसर को गोली

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

मार दी और लाइट मशीन गन (एलएमजी) हथिया ली।

सर्वोच्च अदालत ने सैन्य अफसर के वकील की उन दलीलों को भी खारिज किया जिसमें उनके कुछ गवाहों ने कहा था कि बर्खास्त सैन्य अफसर एक अच्छा सैनिक है और वह किसी भी सैन्य अभियान में हिस्सा लेने से नहीं डरता है। इस पर अदालत ने कहा कि पूर्ववर्ती ऑपरेशन में अच्छे सैनिक का दायित्व निभाने के बाद सीमा की सुरक्षा करते हुए आप केवल अपनी पिछली बहादुरी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। आपको हर मौके पर देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि बर्खास्त किए गए सैन्य अफसर ने सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ के 2011 के बर्खास्तगी के फैसले को एसजीसीएम में चुनौती दी थी। इस अदालत ने भी बर्खास्तगी को बरकरार रखा था और छह साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी है।

मुस्लिम महिला की तलाक नोटिस के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मुस्लिम महिला की उस याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया, जिसमें उसने तलाक के लिए पति की ओर से दिए गए दो नोटिस को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकता है। जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने इस टिप्पणी के साथ ही मुस्लिम महिला की याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ ने कहा कि इस कोर्ट में तलाक के नोटिस को चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने उसे राहत के लिए उचित मंच पर जाने की छूट भी दे दी। महिला के वकील एमएम कश्यप ने कहा कि पर्सनल लॉ के तहत तलाक-ए-अहसन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि वह याचिका के गुण-दोष में नहीं जा सकती है और याचिकाकर्ता को उचित मंच पर जाना चाहिए। महिला की शादी 22 फरवरी, 2009 को हुई थी। इस समय उसके नौ और छह साल के दो बच्चे हैं। महिला ने इस तरह की नोटिस देने के लिए पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी अनुरोध किया था। पति ने पहला नोटिस 25 मार्च को और दूसरा नोटिस सात मई को दिया है।

विदेशी ठहराए गए लकवाग्रस्त व्यक्ति की याचिका पर केंद्र और असम सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी ठहराए गए लकवाग्रस्त व्यक्ति की याचिका पर बुधवार को केंद्र और असम सरकार से जवाब तलब किया। हिरासत केंद्र में रखे गए व्यक्ति को असम में विदेशी अधिकरण (फॉरेनर ट्रिब्यूनल) ने विदेशी नागरिक ठहराया है, जिसके बाद से उसपर बांग्लादेश प्रत्यर्पित किए जाने की तलवार लटक रही है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने अजीजुल हक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों सरकारों से तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है। हक ने अपनी याचिका में कहा है कि शरीर के निचले अंग में लकवा के कारण वह सुनवाई में पेश नहीं हो सका था और अधिकरण ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए उसे विदेशी घोषित कर दिया। वह 24 मार्च, 2017 से हिरासत केंद्र में बंद है। हक ने यह भी कहा है कि गौहाटी हाई कोर्ट ने भी उसे इस आधार पर विदेशी घोषित कर दिया था क्योंकि उसका नाम असम के मसौदा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में था और वह या उसका कोई प्रतिनिधि अधिकरण के सामने पेश नहीं हुआ था।

मवेशी कानून के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इन प्रावधानों के तहत मामले के लंबित रहने तक आरोपित मालिक का मवेशी पर कोई अधिकार नहीं रहता, जबकि पहले के कानून में आरोपित को सजा सुनाए जाने के बाद उसके मवेशी को जब्त करने का प्रावधान था। जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने केंद्र से चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। पीठ एनजीओ बफैले ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुहम्मद अकील कुरैशी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एनजीओ की तरफ से पेश वकील सनोबर अली कुरैशी ने पशु क्रूरता रोकधाम अधिनियम (पशुधन की देखभाल और रखरखाव), नियम 2017 के नियम 3, 5, 8 और 9 को रद करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने इस कानून में 23 मार्च, 2017 को अधिसूचना जारी कर संशोधन किया था। कुरैशी ने कहा कि संशोधित नियम मूल कानून पशु क्रूरता रोकधाम अधिनियम, 1960 की धारा और 29 और 35 के साथ ही साथ संविधान के भी खिलाफ है। संशोधित नियमों के तहत पशु को जब्त कर उन्हें गोशाला में रखने का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय को मंत्रियों के भ्रष्टाचार का ब्योरा देना होगा

दिया आदेश ▶ चर्चित अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की शिकायत पर हुई सुनवाई

केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय की दलीलें ठुकराई

किशोर जोशी, नैनीताल

केंद्र सरकार के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की ओर से मांगी गई सूचना पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। हालांकि, आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय की कालेधन से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने से जांच में बाधा पड़ने की दलील पर सहमति जताई है।

हल्द्वानी में तैनात संजीव चतुर्वेदी ने अगस्त 2017 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से जून 2014 से अगस्त 2017 के बीच केंद्रीय मंत्रियों के भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जानकारी मांगी थी। उन मामलों पर हुई जांच रिपोर्ट की प्रति तथा प्रधानमंत्री द्वारा जांच रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी चाही थी। संजीव ने पूछा था कि विदेशों से कितना कालाधन लाया गया और इसकी कितनी धनराशि देश के लोगों में बांटी गई। कालाधन लाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए। अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंत्रियों के भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना को अस्पष्ट बताकर खारिज कर दिया तथा कालेधन से संबंधित सूचना को आरटीआइ की परिभाषा के दायरे से बाहर बताया।

संजीव ने केंद्रीय सूचना आयोग में की अपील : प्रधानमंत्री कार्यालय के जवाब के खिलाफ संजीव ने केंद्रीय सूचना आयोग में अपील दायर की। आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय की दोनों दलीलों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि यह सूचनाएं पूर्णतः स्पष्ट हैं और आरटीआइ के दायरे में आती हैं। आयोग ने 15 दिन के भीतर सूचना देने का आदेश पारित किया। जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने सूचित किया कि मंत्रियों के भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों पर उचित कार्रवाई होती है, लेकिन यह अभिलेख इतने अधिक हैं कि इनकी सूचना देने से संसाधनों की आवश्यकता से अधिक अपव्यय होगा, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम-2003 की धारा-सात (9) के अंतर्गत इन्हें नहीं दिया जा सकता। कालेधन को विदेश से लाने के प्रयासों के बारे में बताया कि इसके लिए एसआइटी का गठन किया गया है। यदि इसकी जानकारी दी गई तो जांच में बाधा पड़ेगी।

नैनीताल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई

प्रधानमंत्री कार्यालय के इस जवाब के खिलाफ संजीव चतुर्वेदी ने आरटीआइ की धारा-18 के तहत सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी सुनवाई 23 अप्रैल व 17 जून को नैनीताल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने निर्णय पारित किया मंत्रियों के भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना न देने के संबंध में दिया गया जवाब सही नहीं है। इससे केंद्रीय मंत्रियों के भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना देने का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने कालाधन मामले की जांच में बाधा पड़ने की दलील पर सहमति जताते हुए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए।

छेड़खानी रोकने को फरमान तीन दिन लड़के, तो तीन दिन लड़कियां जाएंगी स्कूल

जागरण संवाददाता, कोलकाता : छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में मालदा के एक सरकारी स्कूल ने एक बेहद अजीब सा निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के मुताबिक, छात्र-छात्राएं अलग-अलग दिनों में स्कूल आएंगे। इस निर्देश के बाद ही इसकी चर्चा और इस पर ऐतराज जताने का दौर शुरू हो गया है। मालदा के हबीबपुर क्षेत्र के गिरिजा सुंदरी विद्या मंदिर के फैसले पर प्रशासन ने ऐतराज जताते हुए इसे वापस लेने की भी बात कही है। स्कूल के प्रधानाचार्य रवींद्रनाथ पांडे ने दावा किया कि छेड़खानी की कई घटनाएं सामने आने के बाद स्कूल को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह फैसला किया गया कि लड़कियां सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को स्कूल आएंगी, जबकि लड़कों के लिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन तय किए गए हैं।

मंत्री ने किया विरोध : इस मामले के प्रकाश में आने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले का समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, 'हमने अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ करने को कहा है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।' पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की अध्यक्ष महुआ दास ने भी इस पर ऐतजार जताते हुए निर्देश को विचित्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग से इस बाबत किसी ने संपर्क नहीं किया और न ही सलाह ली गई।

टुर्गा जलविद्युत परियोजना पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

जागरण संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता हाई कोर्ट फाइल फोटो

- पश्चिम बंगाल सरकार की दलीलों व दस्तावेज को किया खारिज
- काम शुरू करने के लिए ग्राम सभा सदस्यों की सहमति अनिवार्य

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के अयोध्या पहाड़ इलाके में चल रहे राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी टुर्गा जलविद्युत परियोजना पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए सभी दस्तावेज व पर्यावरण मंत्रालय से मिली मंजूरी को भी खारिज कर दिया गया। नतीजतन, राज्य को फिर से काम शुरू करने के लिए नई सिरे से ग्राम सभा की बैठक कर उसके सदस्यों की सहमति लेनी होगी और पर्यावरण मंत्रालय में जाना होगा।

टुर्गा जलविद्युत परियोजना का काम साल 2016 में 292 हेक्टेयर भूमि पर शुरू हुआ था, जिसमें 234 हेक्टेयर वन भूमि, राज्य सरकार की 34 हेक्टेयर और 24 हेक्टेयर रैयत भूमि शामिल है। सरकारी कानून के अनुसार, परियोजना को शुरू करने से पहले ग्राम सभा के करीब 50 फीसद सदस्यों की सहमति लेनी होती है, तभी काम को शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोप है कि नियमों की अवहेलना करते हुए पुरुलिया जिला प्रशासन ने अपने हिसाब से काम किया व स्थानीय लोगों को अंधेरे में रख उनसे हस्ताक्षर करा लिए गए, जिसके बाद से ही क्षेत्र में अशांति का माहौल बना हुआ है। वहीं, लोगों को जमीन जाने के साथ ही आजीविका खोने का भी डर है। क्षेत्र के निवासी पूरी तरह से वन पर निर्भर हैं और इस परियोजना के लागू होने से वन के ज्यादातर पेड़ों को काटना होगा, जो क्षेत्र के निवासियों के लिए खतरे का संकेत है। यही कारण है कि भारत जकात मांझी परगना के लोगों ने इस परियोजना का विरोध किया है। साथ स्थानीय लोगों ने नारा दिया कि 'अयोध्या से आंखें हटाओ, वरना यहां दूसरा हूल होगा।' नियम विरुद्ध लोगों के हस्ताक्षर लिए जाने संबंधित मामले को लेकर क्षेत्र के लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं, मंगलवार को न्यायाधीश देबांशु बसाक की पीठ में उक्त मामले की सुनवाई हुई। जहां ग्राम सभा की अनुमति के बिना काम शुरू करने से संबंधित राज्य सरकार के दस्तावेज को न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही एक बार फिर से सरकार को ग्राम सभा के नियमों के अनुपालन और क्षेत्र के लोगों की सहमति लेने के बाद पर्यावरण मंत्रालय में जाने का निर्देश दिया गया है।

20 करोड़ में अवैध रूप से बना होटल ढहाया

पहले ऐसा था होटल। फाइल फोटो

ढहाई गई होटल की इमारत से उठता धूल का गुबार। प्रकाश प्रजापत

नईदुनिया, उज्जैन

मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगर निगम ने अवैध रूप से 20 करोड़ रुपये से बने होटल को ढहा दिया है। निगम ने होटल शांति क्लार्क इन सुइट्स की छह मंजिला इमारत के दो हिस्से बुधवार को दो धमाके कर गिरा दिए गए। अब होटल का एक हिस्सा बचा है, जो बारिश के कारण नहीं गिराया गया। इसे गुरुवार को गिराया जाएगा।

इमारत गिराने के लिए 27 पिलर में 170 छेद करके 34 किलोग्राम बारूद लगाया गया था। जब इमारत को उड़ाया गया तो करीब दो किलोमीटर दूर तक धमाकों की गूंज सुनाई दी। इमारत गिरने से उठा धूल का गुबार एक किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। कार्रवाई के दौरान पास का होटल विक्रमादित्य खाली करा लिया गया था और इंदौर रोड फोरलेन पर ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया था।

बता दें कि इस होटल का निर्माण वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। होटल संचालक ने हाउसिंग सोसायटी से उक्त जमीन खरीदी थी। इसके बाद अवैध रूप से नगर निगम से नक्शा पास कराकर बिल्डिंग बना ली गई थी। पिछले दिनों हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने होटल तोड़ने के आदेश दिए थे।

फैसले से फिर ताजा हुईं जघन्य वारदात की यादें

विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के लिए गाजीपुर में पहली बार किया गया अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल

सर्वेश कुमार मिश्र, गाजीपुर

पूर्वांचल को दहला देने वाली विधायक कृष्णानंद राय समेत सात की हत्या में सीबीआइ अदालत के फैसले ने वारदात की यादें फिर ताजा कर दी हैं। गाजीपुर जिले में पहली बार अत्याधुनिक हथियारों का इस कदर प्रयोग अब भी लोगों में सिहरन पैदा करता है। हत्याकांड के विरोध में गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर जलने लगा था। आंदोलनों का दौर काफी दिनों तक चलता रहा। बात करीब 14 साल पुरानी 29 नवंबर 2005 की है। मुहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के सियाड़ी गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का शानदार तरीके से उद्घाटन करने के बाद भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समर्थकों के साथ गांव से निकले। उनका काफिला बसनिया चट्टी से आगे बढ़ा। वहां से डेढ़ किलोमीटर आगे जाने पर सामने से आकर एक टाटा सूमो रुकी। इसमें आधुनिक हथियार से लैश कई लोग निकले और कृष्णानंद की गाड़ी पर सीधे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कुछ लोग बाइक से भी पहुंच गए। उन्हें निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की। वारदात में गाड़ी सवार सभी सातों लोग मारे गए।

सटीक थी मुखबिरी : अपनी सुरक्षा को लेकर कृष्णानंद राय सचेत रहते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने बुलेट प्रूफ वाहन के बजाय दूसरी गाड़ी (क्वालिस) लिया। मुखबिरी इतनी सटीक थी कि बचने-बचाने को कुछ बचा ही नहीं। अपराधियों को पता था कि कृष्णानंद राय अपनी बुलेट प्रूफ वाहन में नहीं हैं।

प्रदेश के बाहर हुई सुनवाई : कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूरे प्रकरण की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था। बाद में उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। उन्होंने अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होने की आशंका व्यक्त की थी। सुनवाई के दौरान गवाहों को जान का खतरा बताया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूरे प्रकरण की सुनवाई गैर प्रदेश की कोर्ट में करने की मंजूरी दे दी गई। अब जब इस पर तीन जुलाई को फैसला आना था तो सबकी निगाहें इसी पर लगी हुईं थीं।

राजनाथ ने संभाली थी आंदोलन की कमान : कृष्णानंद राय की हत्या के बाद आंदोलन की कमान भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने संभाला था। सीबीआइ जांच की मांग करते हुए राजनाथ ने वाराणसी में अनशन शुरू कर दिया था। तब की सपा सरकार ने सीबीआइ जांच से इन्कार कर दिया और राजनाथ सिंह का धरना बेमियादी अनशन में तब्दील हो गया। बात न बनती देख भाजपा ने उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए खुद अटल बिहारी वाजपेयी वाराणसी पहुंचे और जोरदार हुंकार भरी थी।

मनाया जाता है बलिदान दिवस : जघन्य हत्या के विरोध में हर साल विधायक कृष्णानंद राय का शहादत दिवस मनाया जाता है। मुहम्मदाबाद शहीद पार्क में श्रद्धांजलि सभा होती है। उनकी प्रथम पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव गोड़उर में मनाई गई थी।

पत्नी की मांग पर दिल्ली में हो रही थी सुनवाई

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

हत्याकांड के बाद भाजपा नेता राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने धरना-प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मामले की जांच उप्र पुलिस से सीबीआइ को सौंपी गई थी। 2006 में यह मामला जांच के लिए सीबीआइ को मिला और कृष्णानंद की पत्नी अल्का की मांग पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दिल्ली की विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दी थी।

ये था पूरा मामला : उत्तर प्रदेश पुलिस ने कृष्णानंद राय के भाई राम नारायण राय की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था। राम नारायण ने कोर्ट में बयान दिया था कि 29 नवंबर, 2005 को गाजीपुर के सियारी गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद उनके भाई अपने गनमैन निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना यादव, सहयोगी रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह के साथ कनुवान गांव की ओर जा रहे थे। राम नारायण खुद कुछ लोगों के साथ पीछे दूसरी गाड़ी में थे। बासनिया छत्ती गांव के नजदीक एक गाड़ी से उतरे आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने उनके भाई की गाड़ी को घेर लिया था और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। हमले में उस गाड़ी में सवार सातों लोग मारे गए थे।

जागरूकता

सरकार की तरफ से भेजी गई 15 हजार की ग्रांट का किया प्रयोग, सिर्फ एक प्रयास से पूरा गांव हुआ खुले में शौचमुक्त

सुरजीत ने बनाया सबसे सुंदर शौचालय, मिला सम्मान

गौरव सूद, पटियाला

पंजाब के राजपुरा के गांव धर्मगढ़ के 32 वर्षीय सुरजीत सिंह को सबसे सुंदर शौचालय बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है। उन्हें यह पुरस्कार केंद्रीय जल मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्र स्तरीय स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रतियोगिता की व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है। सुरजीत ने सरकार से मिली 15 हजार रुपये की ग्रांट की मदद से घर में शादी के 12 वर्ष बाद शौचालय बनाया। उन्होंने इसे साफ-सुथरा रखने के साथ-साथ इसकी दीवारों पर सफाई का संदेश देती हुई परिवार की पेंटिंग भी बनवाई। इससे जहां शौचालय की सुंदरता बढ़ी, वहीं लोगों को स्वच्छता और जागरूकता का संदेश भी मिला। सुरजीत ये पुरस्कार जीतने वाले पंजाब से एकमात्र व्यक्ति हैं। गत सोमवार को उन्हें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए स्वच्छता महोत्सव के दौरान पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

अभियान के तहत पंजाब में लगभग सवा छह लाख शौचालय बनाए गए हैं। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय कैटेगरी में सुरजीत का शौचालय स्वच्छ सुंदर शौचालय के लिए चुना गया है। इसके लिए केंद्रीय जल मंत्रालय को पंजाब से लगभग 110 आवेदन मिले थे। प्रत्येक जिले से पांच आवेदन भेजे जाने थे।

शौचालय, जिसे सुरजीत सिंह ने बनाया है और इस पर जागरूक करते संदेश भी लिखे हैं। जागरण

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गत सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए स्वच्छता महोत्सव के दौरान सुरजीत सिंह को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जागरण

गांव के हर घर में बना शौचालय : अब तक 2600 की आबादी वाले धर्मगढ़ गांव में 31 परिवार बिना शौचालय के रहते थे। यहां लोग अब तक खेतों में शौच करके और मुसीबतों को झेलते हुए बड़े हुए, लेकिन अब इन बचे हुए 31 घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है।

12 वर्षों तक खेतों में शौच जाने का कलंक झेला : सुरजीत की पत्नी करमजीत कौर ने बताया उनकी शादी 12 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता था। यह काफी शर्मनाक था। कभी-कभी ऐसा लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है या कोई पीछे खड़ा है। बारिश के दौरान स्थिति बद्तर हो जाती थी। अब घर में शौचालय है। इसने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाया है, जिससे वे काफी खुश हैं।

शौचालय में सफाई का रखा खास ख्याल : सुरजीत ने बताया कि शौचालय बनाने के बाद उन्होंने उसकी साफ-सफाई का खास ख्याल रखा। उन्होंने शौचालय में टाइल्स लगवाई हैं। उसके बाहर साफ-सफाई रखने का संदेश देतीं परिवार की पेंटिंग भी बनाई हैं। उनका ये कॉन्सेप्ट सरकार को पसंद आया और उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

100 करोड़ की जमीन की मालकिन घर खर्च को मोहताज

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर

- मुंबई के एक नामी बिल्डर ने सीकर की महिला के नाम खरीदीं 64 संपत्तियां

राजस्थान में 100 करोड़ रुपये की जमीन की मालकिन विधवा महिला संजू देवी दूध बेचकर घर खर्च चला रही है। बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको खेतों में भी काम करना पड़ता है। चौंकिए मत। यह सच है। दरअसल, संजू के नाम से मुंबई के एक नामी बिल्डर ने संपत्ति खरीदी है, मगर उसको इसकी जानकारी नहीं थी। आयकर विभाग के नोटिस और जमीन अटैच करने पर संजू को इस बात की जानकारी मिली।

जानकारी के अनुसार, मुंबई के एक नामी बिल्डर की करोड़ों की बेनामी संपत्ति उजागर हुई है। इसकी जांच में सामने आया कि 64 संपत्तियां सीकर जिले के छोटे से गांव दीपावास की रहने वाली संजू देवी के नाम पर खरीदी गई थीं। बिल्डर की कंपनी ने अपने फायदे के लिए अनपढ़ संजू देवी से अंगूठा लगवाकर उनके नाम पर ये संपत्ति खरीदी थीं। संजू देवी के नाम से जयपुर-दिल्ली हाईवे पर छह गांवों में 36 हेक्टेयर जमीन 64 अलग-अलग विक्रय पत्रों के माध्यम से खरीदी गई। बेनामी संपत्तियों को आयकर विभाग ने अटैच कर दिया है। इनकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जमीनें जयपुर और सीकर जिले के महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं।

आयकर विभाग के अधिकारियों को संजू देवी ने बताया कि मैं तो अनपढ़ हूं, मुझसे तो कागजों पर अंगुठे लगवाए गए थे । पति के कहने से लगा दिए। अब पति की भी मौत हो गई है। मैं तो भैंस का दूध बेचकर और खेती-बाड़ी से दो बेटियों और एक बेटे का पालन-पोषण कर रही हूं। संजू देवी को तीन महीने पहले आयकर विभाग की टीम ने नीमकाथाना भी बुलाया था। उनसे जमीन के खरीद के संबंध में पूछताछ की गई थी। आयकर विभाग की जांच में सामने आया कि कंपनी ने संजू देवी के नाम जमीन खरीदने के लिए विक्रेता किसानों को सीधा भुगतान किया था।

https://t.me/SSC4Exams https://t.me/Banking4Exams https://t.me/UPSC4Exams